

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-376/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रूवेन मानकी.....आवेदक/विक्रेता

सुमन मुण्डू.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में तिथि, तारीख सहित															
08.01.2024	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती रूवेन मानकी पिता/पति स्व० हेरेन मानकी ग्राम-जोजोटोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th colspan="5">भूमि का विवरण</th></tr><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>कदमा</td><td>84</td><td>9</td><td>243</td><td>0.20</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती रूवेन मानकी पिता/पति स्व० हेरेन मानकी ग्राम-जोजोटोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती सुमन मुण्डू पिता/पति स्व० चोरोन मुण्डू ग्राम-खंटगा, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0840604064 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1004 दिनांक 29.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खरीदगी भूमि है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 157 पर जमावंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता</p>	भूमि का विवरण					ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कदमा	84	9	243	0.20	
भूमि का विवरण																	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)													
कदमा	84	9	243	0.20													

एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1176 दिनांक 30.09.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुण्डू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2023/565493 दिनांक 28.03.2023 व अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2022/517301 दिनांक 03.01.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1004 दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती रूवेन मानकी पिता/पति स्व० हेरेन मानकी ग्राम-जोजोटोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती सुमन मुण्डू पिता/पति स्व० चोरोन मुण्डू ग्राम-खंटगा, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम कदमा के खाता सं० 9, खेसरा संख्या 243, कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।